[2019] 1 उम. नि. प. 455

एस. सरोजिनी अम्मा

बनाम

वेलायुधन पिल्लै श्रीकुमार

26 अक्तूबर, 2018

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) – धारा 122 – दान – दाता द्वारा आदाता को संपत्ति का सशर्त और सप्रतिफल दान किया जाना – दान-विलेख दाता की मृत्यु के पश्चात् प्रभावशील होने की शर्त होना – दाता द्वारा दान-विलेख रद्द किया जाना – रद्दकरण का अधिकार – जहां दान सशर्त हो और प्रतिफल लेकर किया गया हो तथा दान की संपत्ति का कब्जा भी दाता के पास हो, वहां दान पूर्ण न होने के कारण दाता को दान-विलेख को रद्द करने का अधिकार होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी 74 वर्ष आयु की एक नि:संतान विधवा है जिसके पति का तारीख 6 जून, 2015 को देहांत हो गया था । प्रत्यर्थी, अपीलार्थी का भतीजा (भाई का पुत्र) है । अपीलार्थी ने इस प्रत्याशा में कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी और उसके पति की देखभाल करेगा तथा साथ-ही कुछ प्रतिफलार्थ प्रत्यर्थी के पक्ष में एक तात्पर्यित दान-विलेख निष्पादित किया । दान-विलेख में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि दान अपीलार्थी और उसके पति की मृत्यु के पश्चात् प्रभावशील होगा । अपीलार्थी ने बाद में दान-विलेख को रद् करते हुए एक रद्दकरण विलेख निष्पादित किया । इसके कुछ माह पश्चात् प्रत्यर्थी द्वारा यह घोषणा करने के लिए कि अपीलार्थी द्वारा निष्पादित रद्दकरण विलेख अकृत और शून्य है तथा दान-विलेख की संपत्ति पर उसका अधिकार है, मुंसिफ न्यायालय में एक वाद फाइल किया गया । अपीलार्थी ने भी वादांतर्गत संपत्ति पर प्रत्यर्थी द्वारा अतिचार करने या उसे बर्बाद करने से अवरुद्ध करने के लिए स्थायी व्यादेश के लिए मुंसिफ न्यायालय में वाद फाइल किया । मुंसिफ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के

वाद को डिक्री किया गया । अपीलार्थी ने व्यथित होकर जिला न्यायालय, कोल्लम के समक्ष प्रथम अपील फाइल की । प्रतिवादियों द्वारा भी जिला न्यायालय में प्रथम अपील फाइल की गई । अपर जिला न्यायाधीश, कोल्लम द्वारा अपीलार्थी की अपील मंजूर की गई और प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी गई । प्रत्यर्थी ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में नियमित द्वितीय अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर की गई । अपीलार्थी द्वारा विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – जहां कब्जा तब तक दाता के पास रहता है जब तक वह जीवित है, वहां सशर्त दान जिसमें प्रतिग्रहण का उल्लेख न हो और प्रतिग्रहण के सबूत का साक्ष्य न हो, दाता के जीवनपर्यंत पूर्ण नहीं बनता है । जब दान अपूर्ण है और हक दाता के पास रहता है, तो दान-विलेख को रद्द किया जा सकता है । प्रस्तुत मामले में, स्वीकृततः, अंतरण विलेख प्रतिफलार्थ निष्पादित किया गया था और किसी भी दशा में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए सशर्त था कि आदाता याची और उसके पति की देखभाल करेगा और इस शर्त के भी अध्यधीन था कि दान दाता की मृत्यु के पश्चात् प्रभावशील होगा । अतः, न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने के लिए विवश है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को किया गया प्रश्नगत संपत्ति का दान पूर्ण नहीं था और अपीलार्थी को विलेख को रद्द करने का अधिकार था । अतः, उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को संधार्य नहीं रखा जा सकता है । (पैरा 15 और 19)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2014]	(2014) 9 एस. सी. सी. 445 : **रेनिनकुंतला राजम्मा** बनाम **के. स्वर्णम्मा** ;	16, 17, 18
[1997]	(1997) 2 एस. सी. सी. 255 : **नर्मदाबेन मगनलाल ठक्कर** बनाम **प्रानीवनदास मगनलाल ठक्कर और अन्य** ।	14

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 10785.

2011 के आर. एस. ए. सं. 757 में केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम के तारीख 3 अप्रैल, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री वी. शेखर, ज्येष्ठ अधिवक्ता, हरिकुमार वी., अनुपम मिश्रा और पृथ्वीराज सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री बासवा प्रभू एस. पाटिल, ज्येष्ठ अधिवक्ता, एम. गिरीश कुमार, अंकुर एस. कुलकर्णी और सिद्धांत सिन्हा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने दिया ।

न्या. बनर्जी – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील 2011 के आर. एस. ए. सं. 757 में केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा तारीख 3 अप्रैल, 2017 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई द्वितीय अपील मंजूर की थी और प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में पारित निर्णय और डिक्री अपास्त कर दी थी ।

3. इस अपील में अंतर्वलित संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या कोई दस्तावेज, जिसे दान-विलेख का नाम दिया गया किंतु स्वीकृत रूप से सप्रतिफल निष्पादित किया गया, जिसका भागत: संदाय किया गया और अतिशेष का संदाय किए जाने का वचन दिया गया, उसे औपचारिक दस्तावेज समझा जा सकता है या दान की लिखत । एक अन्य संबद्ध प्रश्न यह है कि कोई दान-विलेख, जिसमें दाता के कब्जा रखने के अधिकार और अधिभोग के अधिकार को आरक्षित रखा गया है तथा निष्पादी की मृत्यु के पश्चात् प्रवर्तनीय है, दान है या विल ।

4. अपीलार्थी 74 वर्ष आयु की एक नि:संतान विधवा है जिसके पति का तारीख 6 जून, 2015 को देहांत हो गया था । प्रत्यर्थी, अपीलार्थी का भतीजा (भाई का पुत्र) है । अपीलार्थी ने इस प्रत्याशा में कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी और उसके पति की देखभाल करेगा तथा साथ-ही कुछ प्रतिफलार्थ प्रत्यर्थी के पक्ष में एक तात्पर्यित दान-विलेख निष्पादित किया । दान-विलेख में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि दान अपीलार्थी और उसके पति की मृत्यु के पश्चात् प्रभावशील होगा ।

5. अपीलार्थी के अनुसार, उसने तारीख 2 जून, 1999 को या इसके आस-पास दान-विलेख को रद्द करने के लिए रद्दकरण विलेख सं. 1844/1999 निष्पादित किया था । लगभग आठ माह के पश्चात्, तारीख 1 फरवरी, 2002 को या इसके आस-पास प्रत्यर्थी ने विद्वान् मुंसिफ, सास्थमकोट्टा के न्यायालय में 2000 का मूल वाद सं. 32 यह घोषणा करने के लिए फाइल किया कि अपीलार्थी द्वारा निष्पादित किया गया रद्दकरण विलेख अकृत और शून्य है और यह भी घोषणा की जाए कि तात्पर्यित दान-विलेख की विषयवस्तु होने के कारण वादांतर्गत संपत्ति पर उसका अधिकार है ।

6. अपीलार्थी ने तारीख 20 मार्च, 2000 को या इसके आस-पास विद्वान् मुंसिफ, सास्थमकोट्टा के न्यायालय के समक्ष 2000 का मूल वाद सं. 97 प्रत्यर्थी और उसके आदमियों को वादांतर्गत संपत्ति में अतिचार करने या बर्बाद करने या रिष्टि करने से अवरुद्ध करने के लिए फाइल किया ।

7. अपीलार्थी और उसके पति ने तारीख 12 मई, 2000 को प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए 2000 के मूल वाद सं. 32 में लिखित कथन फाइल किया । प्रतिवादियों ने तारीख 25 जुलाई, 2000 को 2000 के मूल वाद सं. 97 में यह अभिवाक् करते हुए अपना लिखित कथन फाइल किया कि दस्तावेज सं. 687/2000 सप्रतिफल निष्पादित किया गया था ।

8. विद्वान् मुंसिफ, सास्थमकोट्टा ने तारीख 11 दिसम्बर, 2006 के निर्णय और आदेश द्वारा 2000 के मूल वाद सं. 32 और 2000 के मूल वाद सं. 97 को डिक्री किया ।

9. अपीलार्थी ने व्यथित होकर जिला न्यायालय, कोल्लम के समक्ष प्रथम अपील, 2007 का ए. एस. सं. 30 फाइल की । 2000 के मूल वाद सं. 97 में प्रतिवादियों ने जिला न्यायालय, कोल्लम के समक्ष अपनी प्रथम अपील फाइल की । अपर जिला न्यायाधीश-III, कोल्लम ने तारीख 23 सितम्बर, 2010 के आदेश द्वारा अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए आवेदन, ए. एस. सं. 30/2007, को मंजूर किया और प्रत्यर्थी द्वारा 2000 के मूल वाद सं. 97 में फाइल किए गए ए. एस. सं. 77/2000 को खारिज कर दिया ।

10. प्रत्यर्थी ने ए. एस. सं. 30/2007 में दिए गए निर्णय और डिक्री के विरुद्ध नियमित द्वितीय अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने तारीख 3 अप्रैल, 2017 के निर्णय और आदेश द्वारा 2011 की नियमित द्वितीय अपील सं; 757 मंजूर की और ए. एस. सं. 30/2007 में के निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया ।

11. अपीलार्थी की ओर से यह दलील दी गई कि दान-विलेख के नाम में दस्तावेज अपीलार्थी और उसके पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात् ही प्रभावी होना था । प्रश्न यह है कि क्या कोई दस्तावेज जिसके निबंधनों के अनुसार दस्तावेज के निष्पादी ने संपत्ति पर, जो दस्तावेज की विषयवस्तु है, कब्जा धारित किया है और अपना अधिकार आरक्षित रखा है, दान-विलेख हो सकती थी या क्या ऐसा दस्तावेज एक विल की प्रकृति का दस्तावेज था ।

12. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122 में दान को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है :–

> "122. 'दान' परिभाषा – 'दान' किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है, जो एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को, जो आदाता कहलाता है, स्वेच्छया और प्रतिफल के बिना किया गया हो और आदाता द्वारा या की ओर से प्रतिगृहीत किया गया हो ।"

13. दान के विषय में संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के कुछ सुसंगत उपबंधों को इसमें नीचे उपवर्णित किया जाता है :–

"**123. अंतरण कैसा किया जाता है** – स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए वह अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा करना होगा ।

जंगम संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए अंतरण या तो यथापूर्वोक्त प्रकार से हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा, या परिदान द्वारा किया जा सकेगा ।

ऐसा परिदान उसी प्रकार से किया जा सकेगा जैसे बेचा हुआ माल परिदत्त किया जा सकता हो ।

124. वर्तमान और भावी संपत्ति का दान – जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हों, वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य है ।

125. ऐसे कई व्यक्तियों को दान, जिनमें से एक प्रतिगृहीत नहीं करता है – ऐसे दो या अधिक आदाताओं को किसी चीज का दान, जिनमें से एक उसे प्रतिगृहीत नहीं करता है, उस हित के संबंध में शून्य है जिसे यदि वह प्रतिगृहीत करता तो वह लेता ।

126. दान निलम्बित या प्रतिसंहृत कब किया जा सकेगा – दाता और आदाता करार कर सकेंगे कि किसी ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, दान निलंबित या प्रतिसंहृत हो जाएगा, किन्तु वह दान, जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं कि वह दाता की इच्छापात्र से पूर्णत: या भागत: प्रतिसंहरणीय होगा, यथास्थिति, पूर्णत: या भागत: शून्य है ।

दान उन दशाओं में से (प्रतिफल के अभाव या असफलता की दशा को छोड़कर), या किसी भी दशा में प्रतिसंहृत किया जा सकेगा जिनमें कि यदि संविदा होती तो विखंडित किया जा सकता ।

यथापूर्वोक्त को छोड़कर दान प्रतिसंहृत नहीं किया जा सकता । इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात बिना सूचना

सप्रतिफल अंतरितियों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ।

दृष्टांत

(क) ख को क एक खेत ख की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करके देता है कि ख और उसके वंशजों के क के पहले मर जाने की सूरत में वह उसे वापस ले सकेगा । क के जीवन काल में ख अपने वंशज छोड़े बिना मर जाता है । क खेत वापस ले सकेगा ।

(ख) ख को क एक लाख रुपया, ख की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रुपयों में से 10,000/- रुपए जब भी चाहे वापस ले सकेगा । 90,000/- रुपयों के बारे में दान वैध है, किन्तु 10,000/- रुपयों के बारे में, जो क के ही बने रहते हैं, शून्य है ।"

14. जैसाकि **नर्मदाबेन मगनलाल ठक्कर** बनाम **प्रानीवनदास मगनलाल ठक्कर और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, दान से अभिप्रेत कतिपय वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का स्वेच्छया और प्रतिफल के बिना एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को, जो आदाता कहलाता है, अंतरण करना है और इसे आदाता द्वारा या की ओर से प्रतिगृहीत किया गया हो । **नर्मदाबेन मगनलाल ठक्कर** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि "यह स्पष्ट हो जाता है कि रजिस्ट्रीकृत दान-विलेख का निष्पादन, दान का प्रतिग्रहण और संपत्ति का परिदान मिलकर दान को पूर्ण बनाते हैं । इसके पश्चात् दाता अपने हक से निर्निहित हो जाता है और आदाता संपत्ति का पूर्ण स्वामी बन जाता है ।"

15. जहां कब्जा तब तक दाता के पास रहता है जब तक वह जीवित है, वहां सशर्त दान जिसमें प्रतिग्रहण का उल्लेख न हो और

---

[1] (1997) 2 एस. सी. सी. 255.

प्रतिग्रहण के सबूत का साक्ष्य न हो, दाता के जीवनपर्यंत पूर्ण नहीं बनता है । जब दान अपूर्ण है और हक दाता के पास रहता है, तो दान-विलेख को रद्द किया जा सकता है ।

16. **रेनिनकुंतला राजम्मा** बनाम **के. स्वर्णम्मा**[1] वाले मामले में एक हिंदू स्त्री ने स्थावर संपत्ति का रजिस्ट्रीकृत दान-विलेख अपने जीवन काल के दौरान कब्जा प्रतिधारित करने और संपत्ति का भाड़ा प्राप्त करने के अपने अधिकार को आरक्षित रखते हुए निष्पादित किया था । आदाता द्वारा दान प्रतिगृहीत किया गया था किंतु बाद में प्रतिसंहृत कर लिया गया था ।

17. **रेनिनकुंतला राजम्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इस तथ्य से, कि दाता ने अपने जीवन काल के दौरान संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार आरक्षित कर लिया था, विलेख की विधिमान्यता प्रभावित नहीं होती है । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दाता द्वारा या की ओर से सम्यक् रूप से निष्पादित और कम-से-कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया गया दान विधिमान्य है, यदि इसे आदाता द्वारा या की ओर से प्रतिगृहीत किया गया है । तथापि, ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में और जब तक वह प्रतिग्रहण करने के लिए समर्थ है, करना होगा ।

18. हम **रेनिनकुंतला राजम्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के इस विनिश्चय से सहमत हैं कि विधि में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि संपत्ति का स्वामित्व उस संपत्ति के कब्जे के अंतरण के बिना दान न किया जा सकता हो । तथापि, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 में यथा परिभाषित दान की पूर्ववर्ती शर्तों का समाधान हो जाना चाहिए । दान, प्रतिफल के बिना संपत्ति का अंतरण है । इसके अलावा, सशर्त दान केवल विलेख में दी गई शर्तों का अनुपालन होने पर पूर्ण होता है ।

---

[1] (2014) 9 एस. सी. सी. 445.

19. प्रस्तुत मामले में, स्वीकृततः, अंतरण विलेख प्रतिफलार्थ निष्पादित किया गया था और किसी भी दशा में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए सशर्त था कि आदाता याची और उसके पति की देखभाल करेगा और इस शर्त के भी अध्यधीन था कि दान दाता की मृत्यु के पश्चात् प्रभावशील होगा । अतः, हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए विवश हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को किया गया प्रश्नगत संपत्ति का दान पूर्ण नहीं था और अपीलार्थी को विलेख को रद्द करने का अधिकार था । अतः, उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को संधार्य नहीं रखा जा सकता है ।

20. यह अपील मंजूर की जाती है और अपीलाधीन निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

[2019] 1 उम. नि. प. 463

रामवीर

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

26 अक्तूबर, 2018

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदु मल्होत्रा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 148, 149 और 302 – विधिविरुद्ध जमाव – हत्या – विधिविरुद्ध जमाव के सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त और केवल एक अभियुक्त-अपीलार्थी को हत्या के लिए दोषसिद्ध किया जाना – अपील में दोषसिद्धि को कायम रखते हुए उसे विधिविरुद्ध जमाव के लिए भी दोषसिद्ध किया जाना – यदि विधिविरुद्ध जमाव के सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया हो और राज्य द्वारा दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील न की गई हो, तो उनकी दोषमुक्ति का आदेश अंतिम हो जाने पर केवल एक अभियुक्त को विधि-